

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ .3 (ई)/अलेसे II/निप लिंक न . 5368 /1082

दिनांक :- 15/02/2022

संशोधित आदेश

पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 5368/950 दिनांक 17.12.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री /श्रीमती / सुश्री पंकज आर गोयल [लिंक नं. 5368] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कार्यालय कोषाधिकारी (ग्रामीण), जोधपुर- [1322] जिनकी जन्म तिथि 28/03/1975 है, का दिनांक 14/11/2021 को निधन हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 14/11/2021 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प . 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24/03/2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री पंकज आर गोयल के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ .3 (ई)/अलेसे II/निप लिंक न . 5368 /1082

दिनांक :- 15/02/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर
3. कोषाधिकारी (ग्रामीण), जोधपुर को प्रेषित करलेख है कि यदि स्व. श्री पंकज आर गोयल कनिष्ठ लेखाकार के परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित कों अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।
4. कोषाधिकारी जोधपुर
5. श्री/श्रीमती पति / पत्नी स्व. श्रीमती /श्री रितु गोयल ,ए -325, सरस्वती नगर ओप . संत अन्न स्कूल बासनी के सामने, फर्स्ट फेस झालामंड, क.यू.एम भगत की कोठी, जोधपुर 342005 को प्रेषित कर लेख है कि यदि आप अथवा आपके परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित कों अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र संयुक्त पंजीयक, सहकारिता विभाग, जोधपुर के माध्यम से निर्धारित अवधि में भिजवाने का श्रम करें।
6. निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट / ए सी आर शाखा


(धीरज सिसोदिया)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)